न्यायालय जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नामः—प्रकाश राजपुरोहित

अपील संख्याः—23 / 2013

जसवन्त सिंह पुत्र श्री खुशीलाल जाति जाट निवासी नुकेरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—प्रत्यर्थीगण

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.10.2013 न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) संगरिया बअनवान स्टेट बनाम जसवन्त सिंह मुकदमा नं. 46 / 2013 जिसके द्वारा अपीलार्थी को धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के अन्तर्गत नाजायज काश्त का दोषी मानते हुए दण्डित किया गया है, बमुराद मन्सुखी आदेश एवं स्वीकार किये जाने अपील।

उपस्थितः—1—श्री राजीव कुलश्रेष्ठ वकील अपीलार्थी
2—श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अधिवक्ता स्टेट की ओर से

निर्णय   दिनांक 14.03.2017

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त रूप से तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी के कब्जा काश्त में 4 एनकेआरए में मुरब्बा नं0 8 के किला नं0 1 में 0.215 हैक्टेयर, मुरब्बा नं0 9 के क़िला नं. 1 ता 5 में 0.215 हैक्टेयर, मुरब्बा नं0 10 के किला नं0 1 ता 5 में 0.215 हैक्टेयर कृषि भूमि कब्जा काश्त में है तथा अपीलार्थी द्वारा अपनी डेढ फीट कृषि भूमि को छोडते हुए तारबन्दी की हुई है। यह तारबन्दी भी

जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not Official

अपीलार्थी की कृषि भूमि में ही है। अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से रास्ता की कृषि भूमि पर नाजायज काश्त नही की हुई है परन्तु इसके बावजूद भी अपीलार्थी की गांव के लोगो व सरपंच से पार्टीबाजी का विवाद होने के कारण अपीलार्थी को नुकसान पहुचाने के लिए मिथ्या आधारो पर पटवारी हल्का गिरदावर व तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से मिलकर बिना मौका की पैमाईश किये 4 फीट रास्ता की जगह पर अतिक्रमण दिखाते हुए तथा 3 फीट तारबन्दी दिखाते हुए मिथ्या आधारो पर रिपोर्ट तैयार कर अपीलार्थी को रास्ता की जगह पर नाजायज काश्त करने का दोषी मानकर अपीलार्थी के विरूद्ध एक प्रकरण संख्या 46/2013 दर्ज किया गया एवं नोटिस दिनांक 01.03.2013 प्रेषित किया गया। इस नोटिस की प्राप्ति के पश्चात अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष उपस्थित होकर अपना विस्तृत जवाब प्रस्तुत किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा इसकें बावजूद भी अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना व साक्ष्य का अवसर भी प्रदान किये बिना एवं उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 08.10.2013 पारित कर अपीलार्थी को अतिक्रमी धोषित कर तावान लगाकर बेदखल करने के आदेश पारित कर दिये। अपीलार्थी इस आक्षेपित आदेश दिनांक 08.10.2013 से विपरीत रूप से प्रभावित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख की तलबी की गई।

वकील उभय पक्ष की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी पर लगाये गये आरोपो का विरोध करते हुए उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जबाव पेश किया गया। अपीलार्थी द्वारा जबाव प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायलय द्वारा अपीलार्थी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.09.2013 को जबाव प्रस्तुत करने के पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 24.09.2013 नियत करने पर अपीलार्थी द्वारा विरोध करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः बहस हेतु नियत की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.10.2013 को भी बहस नही सुनी गई और आदेश के लिए दिनांक 08.10.2013 नियत कर दी गई। अधीनस्थ न्यायालय का यह कृत्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विपरीत है। अपीलार्थी कृषि भूमि की पैमाईश सही तरीके से नही की गई। निशानदेही के अभाव में अपीलार्थी को रास्ता पर अतिक्रमण का दोषी नही माना जा सकता। अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अपीलार्थी स्वयं अधिवक्ता है जिसके द्वारा निरन्तर प्रत्यर्थी से आदेश की जानकारी प्राप्त की जाती रही परन्तु प्रत्यर्थी द्वारा उसे निर्णय होते ही जानकारी देने का कहा लेकिन अधीनस्थ न्यायालय से अपीलार्थी को कुछ दिन पूर्व इस तथ्य की जानकारी हुई कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08. 10.2013 को अपीलार्थी के विरूद्ध निर्णय पारित किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय जिसकी नकल भी जानबुझकर विलम्ब से दिनांक 11.11.213 को उपलब्ध करवाई गई है। अपीलार्थी को निर्णय दिनांक 08.10.2013 की जानकारी नही दी गई। अपीलार्थी को जिसकी जानकारी कुछ दिन पूर्व होने पर एवं प्रमाणित प्रति दिनांक 11. 11.2013 को प्राप्त होने के पश्चात यह अपील बिना किसी देरी के अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत की गई है। इन परिस्थितियो में अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ किया जाना न्यायाहित में आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा जिसके लिए

अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम अपील के साथ संलग्न किया है। अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने के आदेश फरमाये जावे। वकील अपीलान्ट ने अपने कथनो के समर्थन में आरएलडब्लयू 2006(1)आरजे पेज 639 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा अवैध रूप से रास्ता की भूमि पर नाजायज काश्त करने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को जबाव एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए अपीलार्थी को अतिकमी मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं न्यायिक दृष्टान्त का सःसम्मान अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.10.2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी के वकील ने दोराने बहस यह कथन किया कि अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर अपीलार्थी द्वारा दिनांक 17.09.2013 को जवाब पेश किया जाना पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी एवं भू.अ.निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते है। अपील अपीलार्थी खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अभिलेख तहसीलदार (राजस्व) संगरिया को वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर की जावे।

निर्णय दिनांक 14.3.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

जिला कलक्टर
हनुमानगढ